राजस्थान राजपत्र
असाधारण
प्राधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

श्रावण 16, शुक्रवार, शाके 1942 अगस्त 7, 2020
Sravana 16, Friday, Saka 1942—August 7, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेश, उप-विधियां आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

विधि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2020

जी.एस.आर.192 :-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-**

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 **नियम 16 का संशोधन.** - राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 16 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''रूपये 1.50 लाख (रूपये एक लाख पचास हजार)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''रूपये 3.00 लाख (रूपये तीन लाख)'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या प.8(2)विधि-2/विरसं/(33)/2005]
राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार भारवानी
प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

LAW AND LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION

Jaipur, August 05, 2020

G.S.R.192 .-In exercise of the powers conferred by section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987, (Central Act No. 39 of 1987), the State Government after consultation with the Chief Justice of Rajasthan High Court, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995, namely:-

1. **Short title and Commencement** :- (1) These rules may be called the Rajasthan State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. Amendment of Rules 16:- In Rule 16, of the the Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995 for the existing expression " Rs. 1.50 lakh (Rupees One Lakh Fifty Thousand)" the expression "Rs. 3.00 lakh (Rupees Three lakh)" Shall be substituted.

[No.F8(2)Law-2/VRS/(33)/2005]
By Order of the Governor,

Vinod Kumar Bharwani,
Principal Secretary to the Goyernment,
Law & Legal Affairs Department.

Government Central Press, Jaipur.